मध्य प्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 31-12/10/दो ए (3)   भोपाल,दिनांक 02/3/2015
प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय : **सेना भर्ती रैली के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश।**

मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रति वर्ष लगभग 3000 रिक्तियां सेना के विभिन्न पदों में भर्ती के लिए सेना मुख्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है। मध्यप्रदेश राज्य असैनिक क्षेत्र होने के कारण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों के निवासियों को सैन्य सेवा का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण पदों की रिक्तियां पूरी तरह से भरी नहीं जा पाती है। इस वर्ष भी भर्ती की कार्यवाही आगामी माहों में की जायेगी। इस वर्ष रिक्तियां बढ़ने की भी संभावना है।

2- मध्यप्रदेश राज्य में सेना भर्ती कार्यालय और जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाता है। इसमें जिला एवं पुलिस प्रशासन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। भर्ती रैली को सुव्यवस्थित एवं सुगमतापूर्वक आयोजित करने के उद्देश्य से उचित होगा कि जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया जाए। जिसमें पुलिस अधीक्षक,आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को रखा जावे। यह समन्वय समिति रैली की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगी।

निरंतर...

3- इस प्रकार की रैलियां मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की जावेगी। आपकी सुविधा के लिए इस आयोजन की रूपरेखा संग्लन की जा रही है जिस में इस भर्ती रैली की व्यवस्था किस प्रकार से और किस स्तर से की जाना अपेक्षित है का उल्लेख किया जा रहा है। आप स्थानीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसमें अपने स्तर से आवश्यक सुधार कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सेना भर्ती रैली को व्यवस्थित एवं कारगर बनाना है ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक नवयुवकों को सेना में नियुक्तियां प्रदान की जा सकें।

4- आपसे अपेक्षा है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को नेतृत्व प्रदान करते हुए इस भर्ती रैली को सफल बनायेगें।

संग्लन -भर्ती रेली आयोजन की रूपरेखा ।

(सीमा शर्मा)
सचिव,
म0प्र0 शासन, गृह विभाग

पृष्ठ0क्रमांक एफ31-12/10/दो ए (3) भोपाल,दिनांक /3/2015
प्रतिलिपिः-

1- समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश ।
2- मुख्यालय भर्ती मण्डल जबलपुर टी-23,रिज रोड जबलपुर मध्यप्रदेश 482001
3- संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल।
4- सेना भर्ती कार्यालय कोहफिजा रोड, पुराना सचिवालय मध्यप्रदेश भोपाल।
5- समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश भोपाल।
6- समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मध्यप्रदेश

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
म0प्र0 शासन, गृह विभाग

सैना भर्ती प्रक्रिया की रुप रेखा

1. सामान्यतः रैली का आयोजन चार से पांच दिवस के लिए किया जाता है। राज्य के विभिन्न ज़िलों के लिए तिथि का निर्धारण क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय (म.प्र. व छ.ग.) ज़बलपुर द्वारा किया जाता है। इसके उपरान्त सम्बधिंत जिले के कलेक्टर से अनुमोदन लिया जाता है। रैली में निम्न गतिविधिया होंगी :-

(क) प्रतिदिन - शारीरिक परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षण (जिले अनुसार) किया जावेगा। शारीरिक परीक्षण में निम्नलिखित शामिल है

(अ) 1.6 किलोमीटर दौड़ ।

(ब) चिनअप ।

(स) जिग-जैग बैलेंस ।

(द) 9 फीट खड्डा कूद ।

(ख) उपरोक्त शारीरिक परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारें को लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र दिया जाता है जिसमें लिखित परीक्षा की तारीख एवं जगह उम्मीदवारों को बतायी जाती है।

2- उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार शारीरिक एवं चिकित्सा परीक्षण प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आरम्भ किया जाता है।

3- परीक्षणों की व्यवस्था संचालक सेना भर्ती मध्यप्रदेश एवं बाहर से आये सैनिक दलों द्वारा किया जावेगा।

4- राज्य में सेना भर्ती रैली के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु सैन्य भर्ती दल को जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित सहायता की आवश्यकता होगी :-

1. (क) भर्ती टीम के अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था
(ख) प्रचार प्रसार व्यवस्था
(ग) एक बडा एंव एक छोटा वाहन की व्यवस्था (स्टाफ एंव सामान हेतु)
(घ) चिकित्सा व्यवस्था
(च) पानी, बिजली, दमकल वाहन, जनरेटर एवं अन्य आवश्यक सुविधायें ।

2. (क) रैली का स्थान (परेड/खेलकूद) का मैदान एवं स्थान का चिन्हांकन जिसके चारों ओर 5 फीट की दीवार हो।
(ख) सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल
(ग) एक बड़े एवं एक छोटे वाहन की व्यवस्था (स्टाफ एंव सामान हेतु)सामग्री एंव स्टाफ तथा अधिकारियों के लिये परिवहन व्यवस्था जिसमें एक भारी वाहन तथा दो कार/जीप पर्याप्त होगें।

5. **रैली स्थान.**

विभिन्न स्थानों से भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों के ठहरनें एवं शारीरिक परीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए रैली की व्यवस्था परेड ग्रांउड या उपयुक्त खेलकूद के मैदान जहां पर कम से कम चार सौ मीटर का ट्रेक मौजूद हो और 5 फीट की दीवार हो जो रैली ग्रांउड को बाहर मौजूद भीड़ से अलग कर सके। साथ में एक और मैदान होना चाहिए जिसमें उम्मीदवारों को मार्शलिंग किया जा सके।

(क) 9 फिट लंबी कूंद का आकार 9x4x3 फीट होगा। जिसको खोदने के लिए जे सी बी मशीन की आवश्यकता होगी। उसके बीच में और किनारे पर रेत डालने की व्यवस्था भी करनी होगी।

6. **रैली आयोजन दल के ठहरने की व्यवस्था :-**

सामान्यतः भर्ती रैली दल में 3 विशिष्ठ अधिकारी, 06 कर्नल/मेजर, 13 कनिष्ठ अधिकारी एवं 70 जवान होते है। यह दल अन्य जिलों से आयेगें। अतः इन सैन्य अधिकारियों और जवानों के ठहरने की उचित व्यवस्था रैली स्थान के नजदीक जिला प्रशासन द्वारा की जानी अपेक्षित है।

7. उम्मीदारों के शारीरिक परीक्षण के लिए चिकित्सक रैली के दौरान एक सिविल चिकित्सक व सहायक नर्सिंग **(Compounder)** एम्बुलेंस के साथ होना अति आवश्यक है। चिकित्सक एवं एम्बुलेंस का बंदोबस्त जिला चिकित्सालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

8. **पानी, बिजली एवं अन्य व्यवस्था :-**

भर्ती रैली के लिए बैठक (कुर्सी, टेबल एवं अन्य) व्यवस्था रैली स्थान पर विभिन्न स्थानों से आये उम्मीदवारों के लिए पेयजल की व्यवस्था एवं भर्ती दल के लिए बिजली व्यवस्था जनरेटर सहित नगर पालिका, स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

9. **पुलिस सुरक्षा** :-

रैली स्थान पर उम्मीदवारों के आवागमन एवं रैली स्थान की सुरक्षा व्यवस्था जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा अपेक्षित है। इसमें उम्मीदवारों के लिए रेलवे स्टेशन/बस अड्डे पर सूचना कक्ष, बाहरी मार्शलिगं एरिया में तकरीबन 6000 से 7000 उम्मीदवारों के लिये बैरिकेडिगं और लाऊडस्पीकर की मदद से पंक्तिबद्ध तरीके से संगठित करना, उन्हें दौड़ के लिए ट्रेक तक लाना, बैठाना, दौड़ कराने में मदद करना और अन्त में दौड़ में फेल उम्मीदवारों को तरतीबवार ग्रांउड से बाहर ले जाना शामिल होगा।

10. **प्रचार/प्रसार** :-

भर्ती रैली का प्रचार/प्रसार जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं सहायक संचालक सूचना प्रकाशन द्वारा किया जाना अपेक्षित है ताकि अधिक से अधिक नवयुवक भाग ले सके।

11. **वाहन व्यवस्था** :-

भर्ती स्टाफ के ठहरे हुए स्थान से रैली स्थान तक के आवागमन हेतु एक वाहन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा अपेक्षित होगी।

12. **रोगी वाहन/ एम्बुलेन्स की व्यवस्था** :-

रैली स्थान पर शारीरिक परीक्षण के दौरान एक रोगी वाहन/एम्बुलेन्स और चिकित्सक की व्यवस्था जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित होगी।

13. <u>रैलीतिथि का निर्धारण</u> :-

रैली तिथि का निर्धारण जिला प्रशासन के सुविधानुसार कम से कम 1 से 2 माह पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे आगन्तुक दल को समय पर सूचित किया जा सके एवं दूर दराज के गाँवों तक रैली के प्रचार/प्रसार के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

14- रैली स्थान को चिन्हांकन कर रैली के 2 दिन पूर्व भर्ती दल के अधिकार में दिया जावे ताकि स्थान को चिन्हान्कित किया जा सकें।

15- रैली की जगह पर शामियाना एवं कनात की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। सर्दियों में मेडिकल जांच की व्यवस्था खुले मैदान के बजाय किसी भवन में की जानी उपयुक्त होगी। जैसे कि स्कूल भवन या सामुदायिक भवन आदि।

16- रैली के दौरान लाउड स्पीकर की व्यवस्था आवश्यक होगी ताकि भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके।

-----++++++------